

97

समक्ष: न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प

जबलपुर संभाग जबलपुर म०प्र०
I/मिजरानी/कटनी/भू-संशोधन/प०३०२
प्र०क०

440

मुन्नी वलद स्व० बुधई गड़ारी आयु लग.60साल

निवासी-ग्राम सुइडी थाना बड़वारा जिला कटनी म०प्र०

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

3-आर०बी० यादव
सीडर "1" म०प्र०शासन
124 OCT 2017

विरुद्ध

द्वारा-तहसीलदार महोदय

तह० बड़वारा जिला कटनी म०प्र०

तह० बड़वारा जिला कटनी म०प्र०

2- मुन्नी बाई पति स्व० विशाली गड़ारी आयु लग. 50 साल,
निवासी- ग्राम सुइडी थाना बड़वारा जिला कटनी म०प्र०

अनावेदकगण/उत्तरदातागण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू रा०संहिता 1959 के
तहत सीमांकन कार्यवाही की नियमितता व वैधता के परीक्षण
हेतु।

आवेदक की ओर से निवेदन है :-

- 1- यह कि आवेदक के विरुद्ध अनावेदक कमांक 1 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय बड़वारा के द्वारा राजस्व प्र०क० 98अ/12/2016-17 मे दिनांक 27.06.2017 पक्षकार मुन्नी बाई विरुद्ध शासन मे पारित चुनौतीग्रस्त सीमांकन स्वीकृती आदेश से दुखित व व्यथित होकर की गई अवैधानिक सीमांकन कार्यवाही की नियमितता व वैधता के परीक्षण हेतु यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से प्रस्तुत है।
- 2- यह कि पुनरीक्षणकर्ता के नाम पर ग्राम सुइडी प०ह०नं० 19 मे उसके हक व हिस्से की भूमि ख०नं० 154 रकबा 0.41हे० कृषि भूमि स्थित है उक्त भूमि को पुनरीक्षणकर्ता विगत वर्ष 19.06.1996 मे अन्य विक्रेता भूमि स्वामी कच्छेदीलाल बर्मन से कय किया था तब से वर्ष 1996 से आज तक उक्त भूमि कय करने के बाद मालिक स्वामी होकर कृषि कार्य करता



PRAHLAD YADAV
ADVOCATE
DISTRICT COURT-KATHI


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - १०७/निगड/कटनी/अ.२१/२०१७/४३०२

जिला - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/03/2018	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	

3